निर्णय व इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर, एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 32/2024 (निविदा अपील)

मैसर्स एस के एस एन्टरप्राईजेज जरिये प्रोपराईटर हरिनारायण मीणा पुत्र स्व. श्री जाना राम मीणा निवासी शिव मन्दिर के पास, फुल्दला की ढाणी, पुरानी हवेली, सवाई गेटोर, जगतपुरा, जयपुर

अपीलार्थी

बनाम

अधीक्षक एवं सदस्य सचिव राजस्थान मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी एवं राजकीय रूकमणी देवी बैनी प्रसाद जयपुरिया, अस्पताल, जयपुर ।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध अधीक्षक एवं सदस्य सचिव राजस्थान मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी एवं रूकमणी देवी बैनी प्रसाद जयपुरिया, अस्पताल, जयपुर बावत निविदा एनआईबी/आईबी/ लेखा/निविदा/2024–25/1675

उपस्थित :–

1. श्री सम्भव दयाल अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से।
2. विभागीय पैरोकार रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांक 18.02.2025

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीक्षक एवं सदस्य सचिव राजस्थान मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी एवं राजकीय रूकमणी देवी बैनी प्रसाद जयपुरिया, अस्पताल, जयपुर द्वारा निविदा कमांक एनआईबी/लेखा/निविदा/2024–25/1675 दिनांक 22.08.2024 से व्यथित हो कर यह प्रथम अपील पेश की है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया । रेस्पोडेन्ट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि ने उपस्थित हो कर जबाब पेश किया । पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये दलील पेश की कि उक्त निविदा के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी फर्म के अलावा अन्य कई फर्मे निविदा में भाग लेने में असमर्थ हो रही है। उक्त निविदा के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी फर्म सहित समस्त भागीदार फर्मो तकनीकी निविदा ऑन लाईन दिनांक 06.09.2024 को खोला जाना निर्धारित किया गया। इसके पश्चात अपीलार्थी फर्म के साथ साथ उक्त निविदा में भाग लेने वाली सभी फर्मो का तकनीकी विश्लेषण कर, अपीलार्थी फर्म को विपक्षी के संस्थान की उपापन संस्था द्वारा पत्रांक एनआईबी/लेखा/निविदा/ 2024–25/1675 दिनांक 22.08.2024 से अपीलार्थी फर्म को निर्देशित कर आवश्यक दस्तावेज चाहे गये जिस पर अपीलार्थी फर्म द्वारा चाहे गये समस्त दस्तावेज विधिवत तरीके से ऑन लाईन विपक्षी के संस्थान कार्यालय में प्रस्तुत करने थे लेकिन ई निविदा में

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलार्थी को निविदा में मनमाने रूप से पूर्व में बताई गई शर्तो के विपरीत जाकर मनमानी शर्तो को अधिरोपित करते हुये उनकी पूर्ति करने हेतु अनिवार्यता ठहराते हुये तीन वर्ष पुराना अनुभव, निविदा राशि से अधिक वर्णित टर्नओवर एवं निविदा की समस्त राशि एक साथ लिये जाना जबकि पूर्व में चार किश्तों में ली गई थी व अन्य कई प्रकार की नाजायज शर्त रख दी गई । टेण्डर प्राणाली के पृष्ठ संख्या 1 टेण्डर मांग दस्तावेज की लाईन नम्बर 2 में एवं लाईन नम्बर 7 में तथा पृष्ठ संख्या 29 के पैरा नम्बर 37 में तथा पेज नम्बर 25 पैरा नम्बर 19 में वर्णित है कि निविदा राशि से अधिक टर्न ओवर की 25 लाख की मांग की गई है, जबकि टर्न ओवर निविदा राशि का 1/3 हिस्सा होना चाहिये । द्वितीय विगत तीन वर्षो का पार्किग अनुभव की मांग की गई है जबकि अनुभव प्रमाण पत्र के स्थान पर वर्क आर्डर को मान्यता दी जावे। तृतीय पूर्व में निविदा राशि चार किश्तों में ली जाती थी जबकि वर्तमान टेण्डर में सम्पूर्ण टेण्डर राशि की एक साथ मांग की गई है एवं चतुर्थ निविदा की नियमावली के आधार पर जो पार्किग की दरें निर्धारित है जैसे कि मोटर साईकिल की पार्किग दर 10/–रूपये (0–10) घन्टे एवं कार पार्किग की दर 20/–रूपये (0–10) घन्टे है जबकि वर्तमान में उक्त पार्किंग में मरीजों के द्वारा लगाये जाने वाले वाहनों से माोटर साईकिल से 20/–रूपये एवं कार पार्किग के 40/–रूपये की दर से अवैद्य वसूली की जा रही है चाहे पार्किग में कोई वाहन 30 मिनट के लिए ही क्यों नही खडा कर रहा है, उससे भी उक्त दरें ही ली जा रही है जबकि पर्चो में सूक्ष्म शब्दों में पार्किग दरे भी लिखी है। पार्किग पर्ची में आम लोगो को दिखाई तक नहीं देती है तथा पार्किग में गाडी लगाते समय ही 10/–रूपये या 40/–रूपये की वसूली के बिना वाहन पार्किग की अनुमति नहीं दी जाती है जिसके मुख्य कारण आपसी मिलीभगत एवं पार्किग की पर्ची पर वाहनों की पार्किग दारों का स्पष्ट रूप ये छपा हुआ नहीं होना है। संस्थान के अकाउन्टेट को बार बार शिकायतें करने पर भी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तथा शिकायतकर्ता से बोला जाता है कि तुम लोग मेरे से ज्यादा कानून एवं नियम जानते हो क्या ? पार्किग की दरें नियमों के अनुसार सही चल रही है। तीन या इससे अधिक शिकायत करने पर टेण्डर निरस्त कर दिया जाता है, लेकिन मिली भगत होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं करते है। अपीलार्थी फर्म के द्वारा उक्त निविदा में विपक्षी संस्थान द्वारा अपीलार्थी को निर्देशित कर जो आनावश्यक दस्तावेजात चाहे गये थे जिसकी अपीलार्थी फर्म द्वारा चाहे गये समस्त दस्तावेज विधिवत तरीके से आन लाईन निविदा विपक्षी के संथान कार्यायल में प्रस्तुत कर दिये जायेंगे। निविदा की समस्त शर्त पूर्ण करने के बावजूद विपक्षी संस्था द्वारा तकनीकी रूप से असफल/अनुपर्युक्त मानते हुए उक्त निविदा से बाहर करने के प्रयास में है जो गलत है। विपक्षी संस्थान द्वारा निविदा का तकनीकी तुलनात्मक/विश्लेषण SPPP Portal पर उक्त आशय की सूचना अपलोड सही तरीके से जारी नहीं किया गया है जो विपक्षी संस्थान की कार्य शैली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। उक्त निविदा में कई शर्तो व नियमों का पालन 2022 से आये दिन बदल रहे है जबकि 2022 से पूर्व जयपुरिया अस्पताल का कोई अपना टैण्डर नहीं हुआ करता था व सही प्रकिया से निविदा के तहत नहीं निकाला गया है जो कि गलत है। पूर्व में रेल्वे व नगर निगम में निकाली गई निविदाओं में ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई जिसकी एक साल का अनुभव व टर्न ओवर 25 लाख रूपये के लगभग होना चाहिये जबकि टर्न ओवर मूल रकम का 1/3 हिस्सा राशि की मांग की जाती है जो कि मनमाने रूप से की जा रही है। उक्त निविदा में नये ठेकेदोरों को भी अवसर प्रदान करने का अवसर दिया जाना न्यायोचित है। अतः

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

आदेश दिनांक 22.08.2024 में पारित वित्तीय निविदा हेतु पत्र/कार्यादेश के अनुमोदन को निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी फर्म की वित्तीय निविदा को शर्तो व तरीके से पूर्व में वर्ष 2022 में चाही गई शर्तो व नियमों के मुताबिक करवाने के लिए आदेश जारी करने के आदेश फरमावे। जबकि वर्ष 2000 में भी इस प्रकार की अनावश्यक नियम व शर्त के कारण कुल दो ही ठेकेदारों ने टेण्डर प्रणाली में भाग ले पाये थे।

5. रेस्पोडेन्ट के प्रतिनिधि ने उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि पार्किंग की ऑन लाईन नीलामी गत 02 वर्ष पूर्व इन्ही शर्तो पर की गई थी। जिसमें बिड वेल्यू 11 लाख तथा गत 03 वर्ष का औसत टर्न ओवर 20 लाख रूपया रखा गया था। यह बोली 11,50,000/—में अनुमोदित की गई थी। नेगोशियेशन में फर्म द्वारा 15 लाख की प्रतिभूति जमा कराने की शर्त पर ठेका राशि तीन तीन माह की अग्रिम किश्त के रूप में जमा कराने का अनुबन्ध किया गया था। इस प्रकरण मे प्रथम ऑन लाईन बिड संख्या 1592 दिनांक 8.8.2024 की गई थी, जिसमें बिड राशि 20 लाख रूपये तथा गत तीन वर्ष का औसत टर्न ओवर 50 लाख निर्धारित किया गया था। इस बिड में प्री बिड मिटींग दिनांक 14.8.2024 को रखी गई थी। जिसमे 5 फर्मो ने भाग लिया था। अपीलार्थी फर्म भी प्री बिड मिटींग में उपस्थित थी। इस मीटिंग में प्राप्त सुझाओं के आधार पर बिड शर्तो में संशोधन करते हुए टर्न ओवर 25 लाख रूपये कर दिया तथा पुनः विड संख्या 1675 दिनांक 22.8.2024 जारी की गई। अपीलार्थी द्वारा पूर्व में जारी की गई बिड संख्या 1592 दिनांक 8.8.2024 में एक अपील रजिस्ट्रार आर यू एच एस के समक्ष दायर की गई थी यह बिड निरस्त हो जाने के कारण दायर अपील भी निरस्त हो चुकी है। अपीलार्थी द्वारा इस बिड में प्री बिड मीटिंग दिनांक 14.08.2024 में भाग लेकर इसी आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था तथा प्री विड मीटिंग से पहले भी अपने सुझाव/शिकायत दिये थे । अपीलार्थी फर्म द्वारा दिये ये सुझाव अपनी फर्म को तकनीकी रूप से बिड में योग्य ठहराने हेतु स्वयं की परिस्थितियों के अनुसार स्वार्थपूर्वक दिये गये थे। चिकित्सालय मे स्मार्ट पार्किंग योजना के अन्तर्गत निर्मित पार्किंग के संचालन को ठेके पर देने हेतु द्वितीय बार बिड कमांक 16754 दिनांक 22.8.2024 आन लाईन ई–प्रोक पर जारी की गई है। विड के नियम व शर्त उपायन समित/अधिकारी द्वारा अनुमोदित है। यह बिड दिनांक 06.09.2024 को खोला जाना निर्धारित किया गया है। बिड की शर्त निरपेक्ष रूप से रखी जाती है ,। बिड में किसी फर्म का योग्य अथवा अयोग्य होने का ध्यान में रख कर निर्धारण किया जाना सम्भव नहीं । अतः अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी की अपील निराधार व सम्भावनाओ पर आधारित है। अपीलार्थी द्वारा इसी आशय की अपील पूर्व में लगाई गई जो निरस्त की जा चुकी है। यह अपील कम एक शिकायत अधिक है। अपीलार्थी द्वारा इस प्रकार की शिकायत पूर्व में भी की जा चुकी है। अपीलार्थी ने बिड प्रकिया को बाधित रखने के आशय से विधि का दुरूपयोग करते हुये यह अपील पेश की है। अतः RTPP Act. की धारा 43 के अन्तर्गत तंग करने वाली अपील व दायर परिवाद के कारण अपीलार्थी पर बिड राशि 20 लाख रूपये का 5 प्रतिशत अर्थात एक लाख रूपये का अर्थ दण्ड लगाया जाना न्याय संगत है । अपील RTPP Act. की धारा 40 (ख) सपठित धारा 6 के अन्तर्गत भी अपील लगाने के अधिकार क्षेत्र के बाहर होने के कारण निरस्त जाने योग्य है। अतः अपील खारिज किये जाने के आदेश फरमावे।

6. हमने उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

7. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील किस अधिनियम व किस धारा के तहत प्रस्तुत की गई है इसका कोई उल्लेख अपील मीमों में नहीं किया गया है। । रेस्पोडेन्ट ने अपने जवाब में यह अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा इसी आशय की अपील पूर्व में लगाई गई थी, जो निरस्त हो चुकी है । इसका अपीलार्थी ने अपनी अपील में कोई अंकन नही किया है। पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि अपीलार्थी ने निविदा कमांक एन आई बी/लेखा/निविदा 2024–25/ 1675 दिनांक 22.08.2024 में निवदा हेतु पत्र कार्यादेश/अनुमोदन को निरस्त कर पूर्व में वर्ष 2022 में निर्धारित की गई शर्तो व नियमों के मुताबिक कार्यादेश/अनुमोदन करवाने का अनुरोध किया है। रेस्पोडेन्ट से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्री बिड मिटींग दिनांक 14.08.2024 को रखी गई है, जिसमें अपीलार्थी सहित कुल 5 फर्मो ने भाग लिया है। मीटिंग में प्राप्त सुझावों के आधार पर बिड की शर्तो में संशोधन किया गया है। पूर्व निविदा वर्ष 2022 में जारी की गई थी और अब वर्तमान में ऑन लाईन बिड संख्या 1592 दिनांक 8.8.2024 में जारी की गई है। वर्ष 2024 की बिड के लिए मीटिंग में प्राप्त सुझावों के आधार पर वर्तमान परिस्थिति अनुसार नियम व शर्तो में बदलाव किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि वर्ष 2022 के नियम व शर्ते ही लागू की जावे। बिड के नियम व शर्ते उपापन समिति/अधिकारी द्वारा अनुमोदित है। प्रत्यर्थी द्वारा जारी एवं खोली गई बिड/निविदा में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है।

8. अपीलार्थी ने अपील में यह शिकायत भी की है कि फर्म द्वारा पार्किंग की निर्धारित राशि से अधिक राशि की वसूली की जा रही है। यह एक जांच का विषय है, इसके लिए रेस्पोडेन्ट अधीक्षक, जयपुरिया अस्पाल को निर्देशित किया जाता है कि उपापन समिति/अधिकारी से जांच करा कर प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।

9. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक 18.02.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner